संख्या-180जे0एल0/22-3-2025-ई-1923176

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01-05-2025

विषय:- जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण (1) जान मोहम्मद पुत्र श्री सफायत तथा (2) प्रधान पुत्र श्री गजोधर को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-16238/सामा-1(8)/255/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 04-04-2025 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध निम्नलिखित विचाराधीन बंदियों को निम्न तालिका के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/ पिता का नाम/बंदी संख्या तथा पता	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1-	जान मोहम्मद पुत्र श्री सफायत (बंदी सं0-2303/2023) निवासी-सिसौरा नासिर, थाना-ऊचौलिया, जनपद-खीरी।	जिला कारागार, खीरी	केन्द्रीय कारागार, इटावा
2-	प्रधान पुत्र श्री गाजोधर (बंदी सं0-5313/2023) निवासी-अम्बेडकरनगर, मजरा-ढकिया कुस्तौल, थाना-मितौली, जनपद-खीरी।	जिला कारागार, खीरी	केन्द्रीय कारागार, आगरा

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, खीरी/इटावा/आगरा।

5- पुलिस आयुक्त, आगरा/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा/खीरी।

6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा/आगरा तथा अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को दाखिल/स्थानांतरित किये जाने की सूचना (अनुभाग की ई-मेल पर) शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in